न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सत्यनारायण आमेटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 25 ए/2013

तारीख दायरा–05.04.2013

तारीख निर्णय–27.06.2016

1. श्री गोपालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी छाली तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री केशरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी छाली तहसील गोगुन्दा।
2. श्री जालमसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी छाली तहसील गोगुन्दा।
3. श्री खुमाणसिंह पिता वदनसिंह राजपूत निवासी छाली तहसील गोगुन्दा।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से– श्री दुर्गाशंकर पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे काश्त शुदा कृषि भूमि ग्राम छाली में स्थित है, जो मौजा छाली पटवार क्षेत्र छाली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 29 में वर्णित होकर कुल किता 22 कुल रकबा 2.1450 है0 है, जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजियात कहा जायेगा। उक्त वादग्रस्त आराजियात भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा निहित होकर संयुक्त रूप से काबिज होकर वारा अनुसार उपयोग– उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात भूमि में वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है और उक्त आराजियात पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 भूमि के बना विधिवत विभाजन हुए निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहा है, जिसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना नितान्त आवश्यक है एवं भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज की जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के मध्य वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज कराई जावें वादी के हिस्से में आई भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या दो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या दो के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या चार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या एक व तीन ने हिस्से अनुसार भूमि के बंटवाडे में अपनी मौखिक सहमति जाहिर किये जाने से जवाब पेश नही किया। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौजा छाली पटवार क्षेत्र छाली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 29 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन संयुक्त खातेदार काश्तकार है, जिसका विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के मध्य विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजियात का बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा छाली पटवार क्षेत्र छाली तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 487/1 रकबा 0.0350, 570 मी. रकबा 0.0300, 601 रकबा 0.0200, 339 रकबा 0.0250, 1592/1 रकबा 0.0125 किता 5 कुल रकबा 0.1225 है0 भूमि का केशरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत, आराजी नम्बर 338 मी. रकबा 0.0450, 472 मी. रकबा 0.0200, 490 मी. रकबा 0.0300, 491 रकबा 0.0250, 606 मी. रकबा 0.0200, 1592/2 रकबा 0.0125 किता 05 कुल रकबा 0.1525 है0 भूमि का गोपालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत, आराजी नम्बर 338/1 रकबा 0.0450, 490/1 रकबा 0.0300, 492 रकबा 0.0250, 606/1 रकबा 0.0200, 1592/3 रकबा 0.0125 किता 05 कुल रकबा 0.1325 है0 भूमि का जालमसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.0300, 472/1 रकबा 0.0200, 487 मी. रकबा 0.0250, 490/2 रकबा 0.0700, 534 मी. रकबा 0.0275, 570/1 रकबा 0.0200, 606/2 रकबा 0.0450, 1717 रकबा 0.0200, 1627 रकबा 0.0150, 1628 रकबा 0.0100, 1629 रकबा 0.0300, 1592 मी. रकबा 0.0375 किता 12 कुल रकबा 0.3500 है0 भूमि का खुमाणसिंह पिता वदनसिंह राजपूत को खातेदार काश्तकार

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 480 रकबा 0.0500, 542 रकबा 0.0100, 1617 रकबा 0.0150, 1620 रकबा 1.1800, 1621 रकबा 0.1050 किता 05 कुल रकबा 1.3600 है0 भूमि केशरसिंह, गोपालसिंह, जालमसिंह पिता सोहनसिंह 1/2, खुमाणसिंह पिता वदनसिंह 1/2 एवं आराजी नम्बर 534/1 रकबा 0.0275 है0 भूमि केशरसिंह, गोपालसिंह, जालमसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत के संयुक्त खातेदारी में रहेगी। एतदनसुार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा—उदयपुर

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला, उदयपुर